खंड . 3 अंक . 5 दिसम्बर 2020

1945 से राष्ट्र सेवा में समर्पित

जलांश

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

संदेश

आर के जैन
अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग

दिसंबर का महीना मेरे कार्यकाल का अंतिम माह है। जल क्षेत्र में अपनी 35 वर्षों की यात्रा में, मैंने देश में चुनौतियों और परिवर्तनों के साथ-साथ कई गौरवपूर्ण क्षण देखे हैं। मैंने देखा है कि केंद्रीय जल आयोग ने देश में और साथ ही पड़ोसी देशों में जल संसाधन परियोजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के कार्यान्वयन और जल क्षेत्र के विभिन्न अन्य पहलुओं को संभालने में केंद्रीय भूमिका निभाई है।

वर्ष 2020 कोविड-19 के रूप में एक अत्यधिक विकट चुनौती से बाधित रहा। हालाँकि, मुझे यह जानकर खुशी है कि एक संगठन के रूप में केंद्रीय जल आयोग ने भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कोविड-19 प्रोटोकॉल / दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए विभिन्न आईटी / ई-गवर्नेंस टूल्स का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए अपनी क्षेत्रीय गतिविधियों और अन्य कार्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने के लिए लचीलापन और साहस दिखाया।

बड़े बांध और जलाशय राष्ट्रीय संपत्ति हैं। इस संबंध में, किसी भी आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई के लिए उनकी भंडारण क्षमता का नियमित मूल्यांकन आवश्यक है। हाल ही में, केंद्रीय जल आयोग द्वारा भारत में जलाशयों की सिल्टिंग विषय पर 369 जलाशयों के आंकड़े वाले एक संकलन प्रकाशित किया गया । केंद्रीय जल आयोग अपने साप्ताहिक निगरानी गतिविधि के तहत, लाइव भंडारण के लिए निगरानी किए जाने वाले जलाशयों की संख्या बढ़ाने का भी प्रयास कर रहा है। हाल ही में निगरानी किए जाने वाले जलाशयों की मौजूदा सूची में पांच और जलाशयों को जोड़ा गया है। अब, निगरानी किए जा रहे 128 जलाशयों की कुल लाइव भंडारण क्षमता देश में निर्मित अनुमानित संग्रहण क्षमता का लगभग 66.77% है।

केंद्रीय जल आयोग को गंगा नदी में उन्नाव तक अधिसूचित न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह की निगरानी सौंपी गई है। इस संबंध में, मैंने उत्तराखंड में चयनित परियोजनाओं और केंद्रीय जल आयोग के साइटों का दौरा किया और निगरानी व्यवस्था और अनुपालन को मजबूत करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष आईसीआईडी द्वारा भारत के चार संरचनाओं को विश्व धरोहर सिंचाई संरचना (डव्ल्यूएचआईएस) के रूप में मान्यता दी गई है। आईसीआईडी ने विभिन्न ऐतिहासिक सिंचाई संरचनाओं को विश्व धरोहर सिंचाई संरचना के रूप में मान्यता दी है जो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व धरोहर संरचनाओं की तर्ज पर है। ये संरचनाएं कम से कम 100 वर्ष पुरानी और किसी भी श्रेणी अर्थात बांध, टैंक, बैराज, नहर प्रणाली, पुराने वाटरव्हील आदि के अंतर्गत आ सकती है। डव्ल्यूएचआईएस के लिए प्राप्त प्रविष्टियों पर केंद्रीय जल आयोग में स्थित आईएनसीआईडी (सिंचाई और जल निकासी पर भारतीय राष्ट्रीय समिति) सचिवालय द्वारा कार्यवाही की जाती है। ऐसी मान्यताएँ सिंचाई के बारे में हमारे पारंपरिक ज्ञान का भी प्रमाण हैं।

खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के साथ-साथ देश के समग्र आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु देश के लिए जल सुरक्षा और संपोषणीयता हासिल करने के लिए जोरदार और बहु-आयामी प्रयासों की आवश्यकता है। अंतरसीमा बेसिन में बड़े और ठोस बहुउद्देश्यीय जल संसाधन परियोजनाएं समय की जरूरत हैं। साथ ही, इस संबंध में विलंब राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में नहीं होगा। इसके अलावा, बांध सुरक्षा, अंतर-राज्य जल विवाद, नदी बेसिन संगठन (आरबीओ) के लिए प्रस्तावित प्रमुख विधान भारत के जल क्षेत्र को एक नई दिशा देने के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इस संदर्भ में केंद्रीय जल आयोग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मैं केंद्रीय जल आयोग को उसके भावी प्रयासों के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं क्योंकि इसकी सफलता सुरक्षित और समृद्ध भारत के लिए आवश्यक है । वास्तव में, इस सर्वोच्च संस्था, जिसकी अभिकल्पना डॉ बी आर अम्बेडकर द्वारा की गई थी, का नेतृत्व करना मेरे लिए सम्मान का विषय रहा है।

मैं सभी को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं और उनको खुशहाल, समृद्ध और स्वस्थ नववर्ष 2021 की शुभकामनाएं देता हूं।

राजेन्द्र

विषय वस्तु

- भारत में जलाशयों में सिल्टिंग पर संकलन-2020
- 43वीं वर्गीकृत डाटा निर्मुक्ति समिति (सीडीआरसी) बैठक
- शॉन्गटॉन्ग-करचम हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (450 मेगावाट) हिमाचल प्रदेश के दायें ढलान के स्थायित्व के मुद्दे
- संविधान दिवस का आयोजन
- ग्लेशियल लेक आउटवर्स्ट फ्लड पर पैनल परिचर्चा
- हाल ही में अनुमोदित नई ड्रिप (डीआरआईपी) स्कीम के संबंध में मीडिया के साथ परिचर्चा
- डीआरआईपी के तहत गतिविधियां
- आईएमसीटी का दौरा
- देश में बाढ़ की स्थिति
- जलाशय की निगरानी
- प्रशिक्षण
- पोलावरम परियोजना प्राधिकरण की 13वीं आपात बैठक
- पुनात्संगछू-I एचईपी के लिए तकनीकी समन्वय समिति (टीसीसी) की 29वीं बैठक
- राष्ट्रीय जल पुरस्कार
- एचपीएससी की 12वीं बैठक - राष्ट्रीय परियोजनाएं
- गंगा नदी हेतु पर्यावरणीय प्रवाह की निगरानी
- विभिन्न योजनाओं की वित्तीय प्रगति
- अर्जुन सहायक परियोजना
- डाटा कोर्नर
- आईसीआईडी-विश्व धरोहर सिंचाई संरचना / वाटसेव पुरस्कार
- जल क्षेत्रक समाचार
- गैलरी
- इतिहास-डी.वी.सी. - एक राष्ट्रीय प्रयोग

भारत में जलाशयों में सिल्टिंग पर संकलन-2020

बड़े बांध एवं जलाशय राष्ट्रीय संपत्तियां हैं। इस संबंध में किसी सुधार के कार्य हेतु उनकी भंडारण क्षमता का नियमित मूल्यांकन आवश्यक है। जलाशय के सिल्टिंग पर अप्रैल, 2015 में संकलन प्रकाशित किया गया जिसमें 243 जलाशयों का सेडिमेंटेशन डाटा है। हाल ही में, संकलन के नए संस्करण को अद्यतित करके 369 जलाशयों के आंकड़ों को शामिल किया गया है। इन 369 जलाशयों में से 272 जलाशयों का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया गया, जबकि 97 जलाशयों का दूरसंवेदी तकनीक द्वारा सवेक्षण सर्वेक्षण गया। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किए गए 272 जलाशयों में से 36 जलाशयों का सर्वेक्षण केंद्रीय जल आयोग द्वारा किया गया तथा 236 जलाशयों के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा डाटा उपलब्ध कराए गए हैं। पहली बार उपग्रह दूर संवेदी सर्वेक्षण के आंकड़ों विश्लेषण इस संकलन में किया गया है।

इसे निम्नांकित लिंक के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है:-

http://www.cwc.gov.in/sites/default/files/compendium1122020.pdf

निदेशक डब्ल्यूएसएंडआरएस निदेशालय, भारत में जलाशयों के अवसादन पर संकलन के नवीनतम संस्करण पर अध्यक्ष, के.ज.आ., सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. और मुख्य अभियंता (ईएमओ) को प्रस्तुति देते हुए

43वीं वर्गीकृत डाटा निर्मुक्ति समिति (सीडीआरसी) बैठक

पूर्ववर्ती जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार ने केंद्रीय जल आयोग और सीजीडब्ल्यूबी द्वारा क्रियान्वयन हेतु संशोधित जल-मौसम वैज्ञानिक आंकड़ा प्रसार नीति, 2018 को अनुमोदन दिया था। आंकड़ों के प्रसार को ध्यान में रखते हुए देश को तीन क्षेत्रों में बांटा गया है;

- क्षेत्र-I: सिंधु बेसिन एवं अन्य नदियां तथा उनकी सहायक नदियां जो पाकिस्तान में बहती हैं;
- क्षेत्र-II: गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना बेसिन एवं अन्य नदियां तथा उनकी सहायक नदियां जो बांग्लादेश/म्यांमार में बहती हैं; और
- क्षेत्र-III: शेष नदियां तथा उनकी सहायक नदियां

क्षेत्र-I एवं क्षेत्र-II के लिए आंकड़े वर्गीकृत है। वर्गीकृत आंकड़े विशेष उद्देश्य/अध्ययन के लिए ही जारी किए जाते हैं तथा यह अहस्तांतरीय होता है। इस प्रकार के आंकड़ों के लिए अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में वर्गीकृत आंकड़ा निर्मुक्त समिति (सीडीआरसी), जिसमें विदेश मंत्रालय, आईबी, रॉ, रक्षा मंत्रालय, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग तथा एनडब्ल्युडीए का प्रतिनिधित्व होता है, के सामने अनुरोध प्रस्तुत किए जाते हैं।

पुर्नगठित ''वर्गीकृत आंकड़ा निर्मुक्त समिति'' की 43वीं बैठक अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में वर्गीकृत आंकड़े को जारी करने के मामलों पर विचार करने के लिए दिनांक 03.11.2020 को आयोजित की गई थी। केंद्रीय जल आयोग के संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं से संस्तुति सहित 5 मामले (4 नए एवं 1 पुराने) प्राप्त हुये । प्रत्येक मामले पर विस्तृत विचार के बाद समिति ने सभी 5 मामलों पर आंकड़े जारी करने हेतु प्राधिकृत किया है।

हिमाचल प्रदेश के शॉन्गटॉन्ग-करचम हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (450 मेगावाट) के दायें ढलान में स्थायित्व का मुद्दा

दिनांक 12.11.2020 को शॉन्गटॉन्ग-करचम हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (450 मेगावाट) हिमाचल प्रदेश के दायें ढलान में स्थायित्व के मुद्दे पर श्री एस. सिब्बल, मुख्य अभियंता डिजाइन (एनएंडडब्ल्यू) के नेतृत्व में के.ज.आ. डिजाइनरों की टीम ने मैसर्स एएफ कन्सल्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ विस्तृत चर्चा की। तदनुसार, डिजाइन क्रीप रेट रिपोर्ट और बैरेज संरचना के माध्यम से ही प्रत्याशित वृहद क्रीप फोर्सेस के संबंध में बेसिक कांसेप्ट डिजाइन रिपोर्ट को अंतिम रूप से के.ज.आ द्वारा मंजूरी दी गई।

यह रेखांकित करना है कि ये दोनों रिपोर्ट के.ज.आ. और मैसर्स एएफ कंसल्ट के बीच निरंतर विमर्श के उपरांत तैयार की गई हैं। समस्या की जटिलता को ध्यान में रखते हुए, समस्या के समाधान हेतु परस्पर संवाद प्रणाली को अपनाया गया। अनुमोदित की गई अंतिम रिपोर्ट के.ज.आ.

व मेसर्स एएफ कंसल्ट की परस्पर तकनीकी संवाद प्रक्रिया की परिणति है।

संविधान दिवस का आयोजन

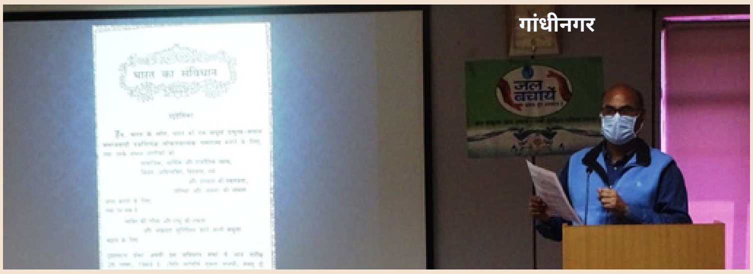

भारत के संविधान सभा द्वारा वर्ष 1949 में भारत के संविधान को अंगीकार किए जाने की स्मृति में पूरे देश में, प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस का आयोजन किया जाता है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। इस वर्ष, भारत के राष्ट्रपति द्वारा पूर्वाहन 11:00 बजे संविधान की प्रस्तावना के पाठ से यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ जिसका राष्ट्रपति भवन से सीधा प्रसारण किया गया।

केंद्रीय जल आयोग - मुख्यालय के अधिकारयों/ कर्मचारियों ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का उचित रूप से पालन करते हुए प्रस्तावना के पाठ समारोह में भाग लिया । इस कार्यक्रम को केंद्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों में भी आयोजित किया गया।

27 नवंबर को ग्लेशियल लेक आउटवर्स्ट फ्लड रिस्क रिडक्शन से संबंधित 'आपदा का सामना' नामक पैनल परिचर्चा/दूरदर्शन का कार्यक्रम

ग्लेशियल लेक आउटवर्स्ट फ्लड (ग्लाफ), एक ऐसी प्रकार की बाढ है जो ग्लेशियर या मोरेन के के कारण ठहरे जल के अचानक प्रवाहित होने से आती है। जब ग्लेशियर पिघलते हैं, तो प्राकृतिक रूप से बर्फ, रेत, कंकड़ और बर्फ अवशेष से बने ग्लेसियल/मोरेन बांध के पीछे इन ग्लेशियल झीलों में पानी जमा हो जाता है। इस प्रकार के बांध के टूट जाने के फलस्वरुप जल का प्रबल प्रवाह नीचे की ओर आता है। ऐसी घटनाओं में उच्चतम जल प्रवाह 15000 घन मीटर प्रति सेकेंड तक रिकॉर्ड किया जा चुका है।

वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण ग्लेशियर के पीछे हटने की घटना हिंदुकुश हिमालय के अधिकांश हिस्से में होती है जिसके फलस्वरूप बहुत से नए हिमनद झीलों का निर्माण होता है जिससे ग्लेशियल लेक आउटवर्स्ट फ्लड आने की संभावना होती है।

प्रमुख मुद्दे

ग्लाफ घटनाओं से विश्व में कई स्थानों पर हजारों की संख्या में लोग मारे गए हैं। हिमालय में भूस्खलन के कारण झील तोड़कर अचानक बाढ़ आने की सबसे बड़ी घटना चोराबारी झील के टूटने से हुई है जो उत्तराखंड में 2013 में आई और जिसे केदारनाथ आपदा के रूप में जाना जाता है । हिमाचल प्रदेश में ही वर्ष 2015 में परिचू नदी पर फ्लैश फ्लड की घटना भी उल्लेखनीय है।

ग्लाफ जैसी प्राकृतिक आपदा और उसके साथ अन्य खतरनाक घटनाओं को देश के नीति निर्माण तथा कार्यक्रमों की मुख्यधारा में शामिल नहीं किया गया है। इन अस्थाई झीलों से अच्छी खासी दूरी पर नीचे रह रहे लोगों को जान - माल के नुकसान झेलने पड़ते हैं।

हितधारियों को ग्लाफ के प्रति जागरुकता, क्षमता निर्माण, पुनर्वास तथा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए तैयारी तथा इनके रोकथाम करने तथा होने वाली क्षति को कम करने के लिए गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है।

ग्लाफ रिस्क रिडक्शन के संबंध में वाली अचानक बाढ़ से होने वाले जोखिम को कम करने के लिए दिनांक 27 नवंबर 2020 को दूरदर्शन पर एक पैनल परिचर्चा प्रसारित की गई थी जिनमें निम्नांकित विशेषज्ञों ने भाग लिया:-

क्र.सं.	नाम और पदनाम	विभाग/एजेंसी
1.	लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त),पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएस एम,और बीएआर सदस्य	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)
2.	श्री आर के सिन्हा , सदस्य (नदी प्रबंधन)	केंद्रीय जल आयोग
3.	डॉक्टर संजय कुमार जैन, वैज्ञानिक - जी तथा प्रमुख	जल संसाधन प्रणाली प्रभाग एनआईएच- रुड़की

भारतीय हिमालय क्षेत्रों में फैले हिम झीलों और जल निकायों का उपग्रह दूर संवेदी आधारित मापन तथा निगरानी का कार्य केंद्रीय जल आयोग द्वारा किया जाता है। एनआरएससी द्वारा दस हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैले हिम झीलों /जल निकायों की सूची तैयार की गई तथा जून, 2011 में प्रकाशित की गई। इस सूची में इन झीलों के स्थान, उसके अक्षांश तथा देशांतर तथा नाम(यदि उपलब्ध है तो) तथा जल विस्तार क्षेत्र शामिल किया गया है । इससे पहले भी एनआरएससी के सहयोग से उपग्रह दूर -संवेदी प्रणाली का उपयोग करते हुए भारतीय हिमालय क्षेत्र में 477 झीलों तथा जल निकायों की निगरानी की गई तथा इसके बाद वर्ष 2016 से यह कार्य केंद्रीय जल आयोग के द्वारा किया जा रहा है। यह गतिविधि प्रत्येक वर्ष जून से अक्टूबर माह की अवधि के दौरान की जाती है।

हाल ही में अनुमोदित नई ड्रिप (डीआरआईपी) स्कीम के संबंध में मीडिया के साथ परिचर्चा

लोक सभा टीवी पर कार्यक्रम- हाल ही में अनुमोदित नई ड्रिप (डीआरआईपी) स्कीम पर परिचर्चा

नई ड्रिप फेज-II तथा फेज-III पर 'बाधों से संवरेगा जीवन' शीर्षक से एक विशेष कार्यक्रम 03.11.2020 को रिकार्ड किया गया तथा लोकसभा टीवी पर दिनांक 04.11.2020 को अपराह्न 5.00 बजे प्रसारित किया गया। बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना के फेज-II एवं फेज-III तथा देश में प्रभावी बांध प्रबंधन जिसका उद्देश्य सतत् विकास है, के महत्व पर परिचर्चा आयोजित की गई। इस परिचर्चा में भाग लेने वाले पैनल में श्री आर.के. जैन, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, श्री जी.वी.वी. शर्मा, सदस्य सचिव, एनडीएमए, श्रीमती देबाश्री मुखर्जी, अपर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग और श्री ए.बी. पांड्या, महासचिव, आईसीआईडी वक्ता के रूप में शामिल थे।

डीडी उर्दू पर नई ड्रिप फेज-II और फेज-III पर परिचर्चा

नई ड्रिप फेज-II और फेज-III पर 'ये है इंडिया-बांध पुनर्वास पहल; उम्मीद एवं चुनौती नामक विशेष कार्यक्रम 05.11.2020 को रिकार्ड किया गया तथा 09.11.2020 को अपराह्न 12.30 पर डीडी उर्दू पर प्रसारित किया गया। नई योजना तथा इसके 4 अवयव नामत: बांध का पुनर्वास, बांध सुरक्षा संस्थागत सुदृढ़ीकरण, संपोषणीय प्रचालन तथा बांधों के अनुरक्षण हेतु प्रबंधन तथा तात्कालिक राजस्व उत्पादन पर परिचर्चा आयोजित की गई। इस परिचर्चा के पैनल में श्री संजय अवस्थी, संयुक्त सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग; श्री गुलशन राज, मुख्य अभियंता, डीएसओ एवं परियोजना निदेशक, ड्रिप-II, केंद्रीय जल आयोग तथा प्रोफेसर, एन.के. गोयल, आईआईटी, रूड़की ने वक्ता के रूप में भाग लिया।

माननीय जल शक्ति मंत्री के समक्ष ड्रिप फेज-Iऔर फेज-II पर प्रस्तुति

माननीय जल शक्ति मंत्री, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा ड्रिप फेज- II और फेज-III पर समीक्षा बैठक की गई । श्री गुलशन राज, मुख्य कार्यकारी, डीएसओ एवं परियोजना निदेशक ड्रिप फेज- II और फेज- III ने नई योजना पर प्रस्तुति दी। उन्होंने इस नई योजना की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के विषय में माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराया तथा विश्व बैंक के साथ ऋण वार्ता के बारे में जानकारी दी। इस बैठक में अपर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा सदस्य (डब्लूपीएंडपी), केंद्रीय जल आयोग के नेतृत्व में केंद्रीय जल आयोग के प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया।

डीआरआईपी के तहत गतिविधियां

तमिलनाडु डब्ल्यूआरडी के बांधों के लिए हितधारक परामर्श बैठक

दिनांक 03.11.2020 को तमिलनाडु डब्ल्यूआरडी के बांधों के लिए "आपातकालीन कार्य योजना (ईएपी) के कार्यान्वयन" पर हितधारक परामर्श बैठक का आयोजन किया गया । तमिलनाडु के 9 बांधों के ईएपी संबंधित जिलों में प्रसारित किए गए । बैठक में मंत्रालय, के.ज.आ., एनडीएमए, एसडीएमए, आईएमडी, एनआरएससी, जीएसआई व बांध के डाउनस्ट्रीम में स्थित जिला प्राधिकरणों और ग्राम अधिकारियों ने भाग लिया।

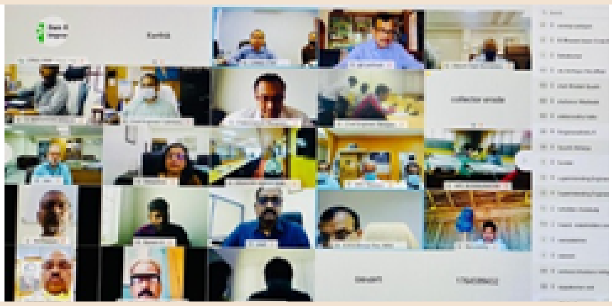

डीआरआईपी चरण II के लिए ऋण वार्ता की बैठक

डीआरआईपी चरण II के वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक से 250 मिलियन अमेरिकी डालर के ऋण के लिए 10.11.2020 को ऋण वार्ता बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में विश्व बैंक, डीईए, केंद्रीय जल आयोग, जल शक्ति मंत्रालय, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर,मेघालय, ओडिशा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्य के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ऋण के सभी महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों पर विचार किया गया और अन्य दस्तावेजों पर वार्ता कर अंतिम रूप दिया गया ।

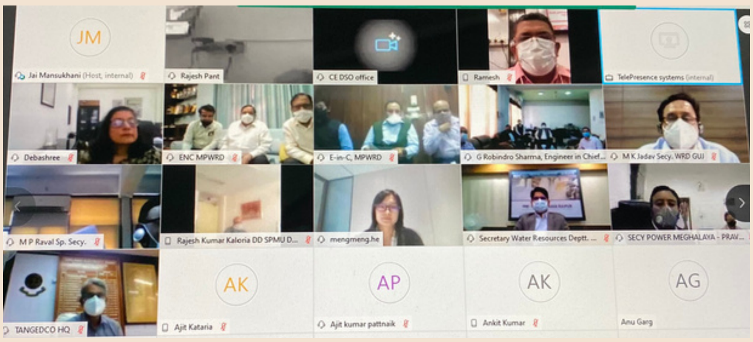

डीआरआईपी के तहत नया प्रकाशन

महीने के दौरान, तीन महत्वपूर्ण प्रकाशन जारी किए गए।

मौजूदा बांध परियोजनाओं में पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन और प्रबंधन के लिए परिचालन प्रक्रिया

"मौजूदा बांध परियोजनाओं में पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन और प्रबंधन के लिए परिचालन प्रक्रिया" विभिन्न बांध पुनर्वास गतिविधियों के लिए आवश्यक वैधानिक सामाजिक और पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के लिए बांध प्राधिकारियों को बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करेगा। । यह दस्तावेज भारत में पर्यावरण सुरक्षा उपायों से संबंधित प्रासंगिक नियमों और विधियों का संकलन है। यह परियोजना के निष्पादन के दौरान शमन उपायों के कार्यान्वयन और निगरानी में बांध स्वामियों और अन्य हितधारकों के लिए एक मार्गदर्शिका है। नदी घाटी और पनबिजली परियोजनाओं के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) की सिफारिशों पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई है। यह दस्तावेज़ नीचे दिये हुए लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है:

https://damsafety.in/ecm-includes/PDFs/Assessing_and_Managing_Environmental_Impacts_in_Existing_Dam_Projects.pdf

बांधों की खतरनाक क्षमता को वर्गीकृत करने के लिए दिशानिर्देश

"बांधों के खतरनाक क्षमता को वर्गीकृत करने के लिए दिशानिर्देश" उन परियोजनाओं को चिन्हित करने के लिए एक सरल, संक्षिप्त, अनुकूलनीय और विश्वसनीय दृष्टिकोण प्रदान करता है जिनकी विफलता या व्यवधान से संभावित रूप से सबसे गंभीर परिणाम हो सकते हैं और इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटने के लिए उचित उपाय करने के लिए बांध प्राधिकरणों की सहायता करता है।

यह दिशानिर्देश बांध मालिकों को जोखिम आधारित निर्णय प्रणाली पर स्विच करने में मदद करेगा। उच्च जोखिम वाले बांधों को सुरक्षा चिंताओं, विस्तृत आपातकालीन कार्य योजनाओं की तैयारी या विस्तृत जोखिम आकलन और वित्तीय संसाधनों के पुन: उन्मुखीकरण के अनुसार उच्च प्राथमिकता दी जा सकती है। यह दस्तावेज़ नीचे दिये हुए लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है:

https://damsafety.in/ecm-includes/PDFs/Guidelines_for_Classifying_the_Hazard_Potential_of_Dams.pdf

मौजूदा बांधों की संरचनात्मक सुरक्षा का आकलन करने के लिए मैनुअल

"मौजूदा बांधों की संरचनात्मक सुरक्षा का आकलन करने के लिए मैनुअल" बाढ़ और भूकंप जैसी असामान्य / चरम घटनाओं के दौरान स्थिरता सहित मौजूदा बांधों की संरचनात्मक सुरक्षा की समीक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है। इसे प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं पर आधारित योगदान और प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय विशेषज्ञों के सहयोग से तैयार किया गया है। इस मैनुअल का उपयोग इंजीनियरों / बांध मालिकों द्वारा उनके बांधों की व्यापक सुरक्षा समीक्षा के दौरान एक संदर्भ सामग्री के रूप में किया जा सकता है। यह दस्तावेज़ यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है:

https://damsafety.in/ecm-includes/PDFs/Manual_for_Assessing_Structural_Safety.pdf

आईएमसीटी का दौरा

मानसून 2020 के दौरान बाढ़ / भूस्खलन से सिंचाई, पेयजल, तटबंध और बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं को हुई क्षति क्षति के मौके पर जा कर आकलन के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा विभिन्न अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों (IMCT) का गठन किया गया है। । इन आईएमसीटी में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए के.ज.आ. के अधिकारियों को नामित किया गया ।

उन्होंने जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक की और नुकसान का आकलन करने के लिए प्रभावित जिलों का दौरा किया। उनकी यात्रा का विवरण संक्षेप में नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	राज्य	दौरे की अवधि	जल शक्ति मंत्रा. का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारी	दौरा किए गए जिले
1.	उत्तर प्रदेश	05-06 नवंबर (दूसरा दौरा)	श्री बीसी विश्वकर्मा,निदेशक के.ज.आ.,लखनऊ	बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती
2.	आंध्र प्रदेश	09-11 नवंबर (पहला दौरा)	श्री पी देवेंदर राव, निदेशक,के.ज.आ. ,हैदराबाद	कृष्णा, गुंटूर, अनतपुर, पूर्वी गोदावरी, पश्चिम गोदावरी
3.	असम	23-25 नवंबर (दूसरा दौरा)	श्री सुधीर कुमार, निदेशक,के.ज.आ. ,गुवाहाटी	होजाई, नगांव, कामरूप, गोलपारा और बोंगईगांव

उत्तर प्रदेश

आंध्र प्रदेश

असम

देश में बाढ़ की स्थिति

नियमित बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधि ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन में दिनांक 01.05.2020 से शुरू हो गई थी, जो कि अन्य बेसिनों तक बढ़ा दी गई थी। 01 मई से 30 नवंबर, 2020 तक की अवधि के दौरान 11691(8243 स्तर और 3448 इन्फ्लो) बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए गए, जिनमें से 11178 (8132 स्तर और 3046 इन्फ्लो) पूर्वानुमान, सटीकता सीमा के भीतर, 95.61% प्रतिशत सटीकता के साथ थे । केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से नवंबर के महीने में 18 ऑरेंज बुलेटिन (गंभीर बाढ़ स्थिति के लिए) और चरम बाढ़ की स्थिति के लिए 74 लाल बुलेटिन जारी की गई।

01.05.2020 से 31.11.2020 तक के दौरान बाढ़ की स्थिति का सारांश

चरम बाढ़ की स्थिति

सात बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों पर चरम बाढ़ की स्थिति देखी गयी।

सं.	राज्य	जिला	नदी	स्टेशन
1	असम	शिवसागर	दिखो	शिवसागर
2	बिहार	गोपालगंज	गंडक	दुमारियाघाट
3		मुज़फ्फरपुर	गंडक	रेवाघाट
4		समस्तीपुर	बूढ़ी गंडक	रोसेरा
5	ओडिशा	बालासोर	सुबर्णरेखा	मठानी रोडब्रिज
6	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी	गोदावरी	चिंतुरु
7	कर्नाटक	गुलबर्गा	भीमा	दियोंगाव ब्रिज

39 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों पर चरम बाढ़ की स्थिति देखी गयी।

बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों पर गंभीर बाढ़ की स्थिति

अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, छत्तीसगढ़ और गुजरात राज्यों में 88 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों पर गंभीर बाढ़ स्थिति देखी गयी।

जलाशय निगरानी

नवंबर 2020 के महीने में निम्नलिखित पांच और जलाशयों को के.ज.आ. के जलाशय भंडारण निगरानी प्रणाली (आरएसएमएस) में जोड़ा गया है।

जलाशय का नाम	राज्य
सिरसी मौदहा रंगावन मेजा	झारखंड
गेटलसूद	उत्तर प्रदेश

उपरोक्त पांच जलाशयों की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता 1.04 बीसीएम है। केंद्रीय जल आयोग, अब, साप्ताहिक आधार पर देश के 128 जलाशयों की लाइव भंडारण स्थिति की निगरानी कर रहा है और प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी कर रहा है। इन 128 जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता 172.132 बीसीएम है, जो देश में अनुमानित निर्मित 257.812 बीसीएम की सक्रिय भंडारण क्षमता का लगभग 66.77% है ।

दिनांक 26.11.2020 के जलाशय भंडारण बुलेटिन के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध कुल सक्रिय भंडारण 139.348 बीसीएम है,

सामान्य से ऊपर बाढ़ की स्थिति

असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तराखंड, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के 34 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों पर सामान्य से ऊपर की बाढ़ की स्थिति देखी गयी।

निर्धारित सीमा से ऊपर अंतर्वाह वाले जलाशय

पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 88 जलाशयों ने बाढ़ पूर्वानुमान के लिए निर्धारित सीमा से अधिक अंतर्वाह प्राप्त किया।

जो इन जलाशयों की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता का 81% है।

हालांकि, पिछले वर्ष में इस अवधि के दौरान इन जलाशयों में उपलब्ध कुल सक्रिय भंडारण 149.003 बीसीएम था और पिछले 10 वर्षों के सक्रिय भंडारण का औसत 117.531 बीसीएम है। इस प्रकार, दिनांक 26.11.2020 के बुलेटिन के अनुसार 128 जलाशयों में उपलब्ध सक्रिय भंडारण पिछले वर्ष की इसी अवधि के सक्रिय भंडारण का 94% है और पिछले दस वर्षों के औसत भंडारण का 119% है।

जून 2020 से जलाशय भंडारण की स्थिति

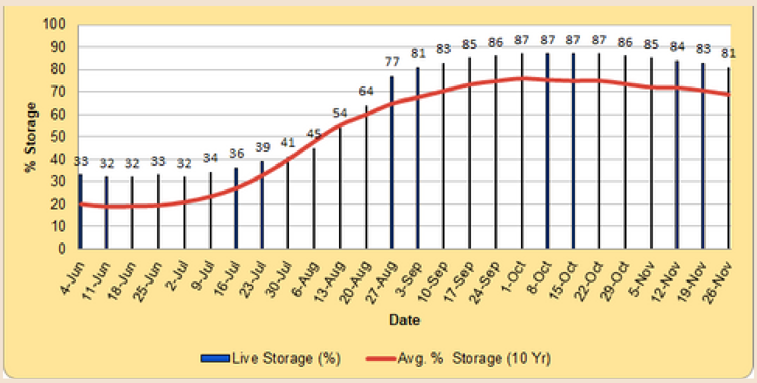

प्रशिक्षण

एनडब्ल्यूए, सीडब्ल्यूसी, पुणे द्वारा प्रशिक्षण का आयोजन

क्रम संख्या	कार्यक्रम का विषय	दिनांक	कार्यक्रम स्थल	प्रतिभागी
1.	वेबिनार 4 *: राष्ट्रीय जल नीति https://youtu.be/-m4PiaZihRU	02.11.2020	सिस्को वेबेक्स	राज्य/ केंद्रीय सरकार, व जल सं.न.वि.एवं गं.सं. विभाग के अधिकारी, सहित जल संसाधन से संबन्धित 180 पेशेवर
2.	वेबिनार 5: अंतरराज्यीय नदी जल विवाद न्यायाधिकरण https://www.youtube.com/watch?v=DOGHMEpTs24	09.11.2020	सिस्को वेबेक्स	राज्य/ केंद्रीय सरकार, व जल सं.न.वि.एवं गं.सं. विभाग के अधिकारी, सहित जल संसाधन से संबन्धित 140 पेशेवर
3.	केंद्रीय जल आयोग के जूनियर इंजीनियरों के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम - बेच 2	09 नवंबर-06 दिसंबर2020	डीएल मोड	के.ज.आ. के 54 जूनियर इंजीनियर
4.	वेबिनार 6: अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के उपयोज्य अंतर्राष्ट्रीय नदी जल साझाकरण डाक्ट्राइन/सिद्धांत https://youtu.be/t-g96w50pek	18.11.2020	सिस्को वेबेक्स	राज्य/ केंद्रीय सरकार, व जल सं.न.वि.एवं गं.सं. विभाग के अधिकारी, सहित जल संसाधन से संबन्धित 95 पेशेवर
5.	वेबिनार 7: भारत में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद - चुनौतियां: गोदावरी जल विवाद – एक विषय अध्ययन https://youtu.be/Qmdg4WDbTXQ	23.11.2020	सिस्को वेबेक्स	राज्य/ केंद्रीय सरकार, व जल सं.न.वि.एवं गं.सं. विभाग के अधिकारी, सहित जल संसाधन से संबन्धित 135 पेशेवर
6.	एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन	23-27 नवंबर,2020	डीएल मोड	राज्य/ केंद्रीय सरकार, व जल सं.न.वि.एवं गं.सं. विभाग के अधिकारी, सहित जल संसाधन से संबन्धित 80 पेशेवर
7	स्कूल शिक्षकों के लिए भारत के जल संसाधन क्षेत्र पर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम - बेच ए	23-25 नवंबर,2020	डीएल मोड	220 राज्य, केंद्र सरकार और निजी स्कूल
8.	स्कूल शिक्षकों के लिए भारत के जल संसाधन क्षेत्र पर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम - बेच बी	24-26 नवंबर,2020	डीएल मोड	220 राज्य, केंद्र सरकार और निजी स्कूल
9.	स्कूल शिक्षकों के लिए भारत के जल संसाधन क्षेत्र पर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम - बेच सी	25-27 नवंबर,2020	डीएल मोड	220 राज्य, केंद्र सरकार और निजी स्कूल

पोलावरम परियोजना प्राधिकरण की 13वीं आपात बैठक

पोलावरम परियोजना प्राधिकरण की 13वीं आपात बैठक का आयोजन 02 नवंबर 2020 को हैदराबाद में वास्तविक रूप से तथा वर्चुअल प्लेटफार्म के माध्यम से मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), पीपीए की अध्यक्षता में हुआ। श्री एस के हलदर, सदस्य (डब्लयूपीएंडपी), श्री आर के पचौरी, मुख्य अभियंता (पीपीओ), श्री ए एस गोयल, मुख्य अभियंता (पीएओ), श्री मुन्नीलाल, मुख्य अभियंता, डिजाइन (एनडबल्यूएंडएस), तथा केंद्रीय जल आयोग के अन्य अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया।

इस आपात बैठक का मुख्य मुद्दा जल संसाधन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार को प्रतिपूर्ति प्रस्ताव, इसके द्वितीय संशोधित लागत अनुमान पर संशोधित लागत समिति की रिपोर्ट, पोलावरम सिंचाई परियोजना के संबंध में भारत सरकार के निर्णयों/ निर्देशों के संबंध में परिचर्चा करना था।

पुनात्संगछू-I एचईपी के लिए तकनीकी समन्वय समिति (टीसीसी) की 29वीं बैठक

पुनात्संगछू-I एचईपी के लिए तकनीकी समन्वय समिति (टीसीसी) की 29वीं बैठक 10.11.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से आयोजित की गई। श्री दिनेश चंद्र, सदस्य (हाइड्रो), सीईए ने बैठक की अध्यक्षता की और डॉ. आर के गुप्ता, सदस्य (डीएंडआर), के.ज.आ. सह-अध्यक्ष थे। के.ज.आ., एनएचपीसी, सीईए, वैपकोस और रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान (आरजीओबी) के वरिष्ठ अधिकारियों ने पीएचईपी- I परियोजना के डैम कॉम्प्लेक्स के डिजाइन के बारे में सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक में भाग लिया। बांध के दायें किनारे के ढलान को स्थिर करने के लिए सर्वोत्कृष्ट संभव विधि अपनाने के लिए जटिल चिंतन किया गया जो अतीत में कई ढलान विफलताओं से गुजर चुका है।

राष्ट्रीय जल पुरस्कार

भूमिगत जल संवर्धन पुरस्कार तथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2007 में की गई, जिसका उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों, ग्राम पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों, जल उपयोगकर्ता संगठनों, संस्थानों, निगम क्षेत्र, व्यक्तियों आदि सहित सभी हितधारियों को प्रोत्साहित करना था । यह पुरस्कार वर्षा जल संचयन तथा कृत्रिम जल संवर्धन के माध्यम से जल संवर्धन हेतु अभिनव प्रयास करने तथा जल के दक्षता पूर्वक उपयोग को बढ़ावा देने, उपयोग किए गए जल का पुनः चक्रण तथा लोगों की भागीदारी के माध्यम से लक्षित क्षेत्रों में जागरुकता का निर्माण, जिसके परिणामस्वरुप भूमिगत जल संसाधन का संपोषणीय विकास, समुचित क्षमता निर्माण तथा हितधारियों के बीच इन प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए दिये गए।

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि सतही जल तथा भूजल जल -चक्र का अभिन्न भाग हैं, हितधारियों को जल संसाधन के प्रबंधन के प्रति संपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने हेतु उत्साहित करने के लिए एकीकृत राष्ट्रीय जल पुरस्कार शुरू किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई है।

राष्ट्रीय जल राष्ट्रीय 2019 सितंबर 2019 में MyGov पोर्टल पर शुरु किया गया तथा केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड द्वारा भी प्रविष्टियां आमंत्रित की गई। निर्णायक समिति के प्रमुख श्री शशि शेखर, पूर्व सचिव, जल संसाधन विभाग नदी विकास एवं गंगा संरक्षण थे। दो चयन समितियों जिनमें सीजीडब्लूबी तथा के.ज.आ. के सदस्य थे, ने निर्णायक समिति को आवेदनों के अध्ययन तथा विजेताओं के चयन में सहायता की । राष्ट्रीय जल पुरस्कार विजेताओं, प्रतिनिधिमंडल तथा श्रोताओं ने वर्चुअल प्लेटफार्म के माध्यम से इस कार्यक्रम से लाइव जुड़कर भाग लिया। जल शक्ति मंत्रालय ने द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार का आयोजन 11 तथा 12 नवंबर 2020 को किया जिसका उद्देश्य जल प्रबंधन तथा संरक्षण के क्षेत्र में देश में की गई प्रगति का सम्मान करना था। भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में राष्ट्रीय जल पुरस्कार पुरस्कार वितरण समारोह का उद्घाटन किया ।

जल शक्ति मंत्रालय ने 11 और 12 नवंबर, 2020 को देश में जल प्रबंधन और संरक्षण में उत्कृष्टता का सम्मान करने के लिए द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का आयोजन किया।भारत के उपराष्ट्रपति, श्री एम वेंकैया नायडू ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया, श्री यू पी सिंह, सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग एवं अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में राष्ट्रीय जल पुरस्कार पुरस्कार वितरण समारोह का उद्घाटन किया । 1112 वैध आवेदनों में से, 16 श्रेणियों में कुल 98 विजेताओं का चयन किया गया। इन श्रेणियों में से कुछ में देश के विभिन्न क्षेत्रों में उप-श्रेणियां हैं। विजेताओं को ट्रॉफी / प्रशस्ति पत्र देकर

क्रम संख्या	पुरस्कार श्रेणी
1	सर्वश्रेष्ठ राज्य
2	सर्वश्रेष्ठ जिला
3	सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत
4	सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय
5	सर्वश्रेष्ठ शोध/नवाचार/नवीन तकनीकी
6	सर्वश्रेष्ठ शिक्षा / जन जागरूकता का प्रयास
7	सर्वश्रेष्ठ टीवी शो
8	सर्वश्रेष्ठ समाचार पत्र
9	सर्वश्रेष्ठ विद्यालय
10	सर्वश्रेष्ठ संस्थान/आरडब्ल्यूए/धार्मिक संगठन
11	सर्वश्रेष्ठ उद्योग
12	सर्वश्रेष्ठ जल नियामक प्राधिकरण
13	सर्वश्रेष्ठ जल योद्धा
14	सर्वश्रेष्ठ एनजीओ
15	सर्वश्रेष्ठ जल उपयोग संघ
16	सीएसआर गतिविधि हेतु सर्वश्रेष्ठ उद्योग

सम्मानित किया गया। तीन श्रेणियों यथा 'सर्वश्रेष्ठ राज्य', 'सर्वश्रेष्ठ जिला' और 'सर्वश्रेष्ठ जल नियामक प्राधिकरण', को छोड़कर - बाकी तेरह श्रेणियों के विजेताओं को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान को प्राप्त हुए हैं। मिजोरम ने विशेष श्रेणी के राज्यों में पहला पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार को छह क्षेत्रों - उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, पूर्वोत्तर और आकांक्षी और दो उप श्रेणियों में - नदियों का पुनरुद्धार और जल संरक्षण - में विभाजित किया गया था। उत्तर में, नदियों के पुनरुद्धार और जल संरक्षण में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार अयोध्या और अल्मोड़ा को दिया गया। दक्षिण में, वेल्लोर और वाईएसआर कडप्पा, पश्चिम में सांगली और कच्छ, पूर्व में, बिलासपुर और सूरजपुर, पूर्वोत्तर में, पश्चिम त्रिपुरा (जल संरक्षण) और आकांक्षी जिले की श्रेणी में खंडाना और विजयनगरम को क्रमशः पुरस्कार प्रदान किया गया।

जल संरक्षण / प्रबंधन की दिशा में काम करने के लिए जन जागरूकता पैदा करने और अधिक संख्या में लोगों को प्रेरित करने के लिए निरंतर ध्यान देने के साथ, लोगों के प्रयासों को पहचानने के लिए, अधिकतम संभव क्षेत्र को कवर करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में देश भर में इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों/संगठन 10.12.2020 को जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा अब तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 शुरू किया जा रहा है। निम्नलिखित URL से विवरण तक पहुँचा जा सकता है:
https://www.mygov.in/campaigns/national-water-awards/

एचपीएससी की 12वीं बैठक - राष्ट्रीय परियोजनाएं

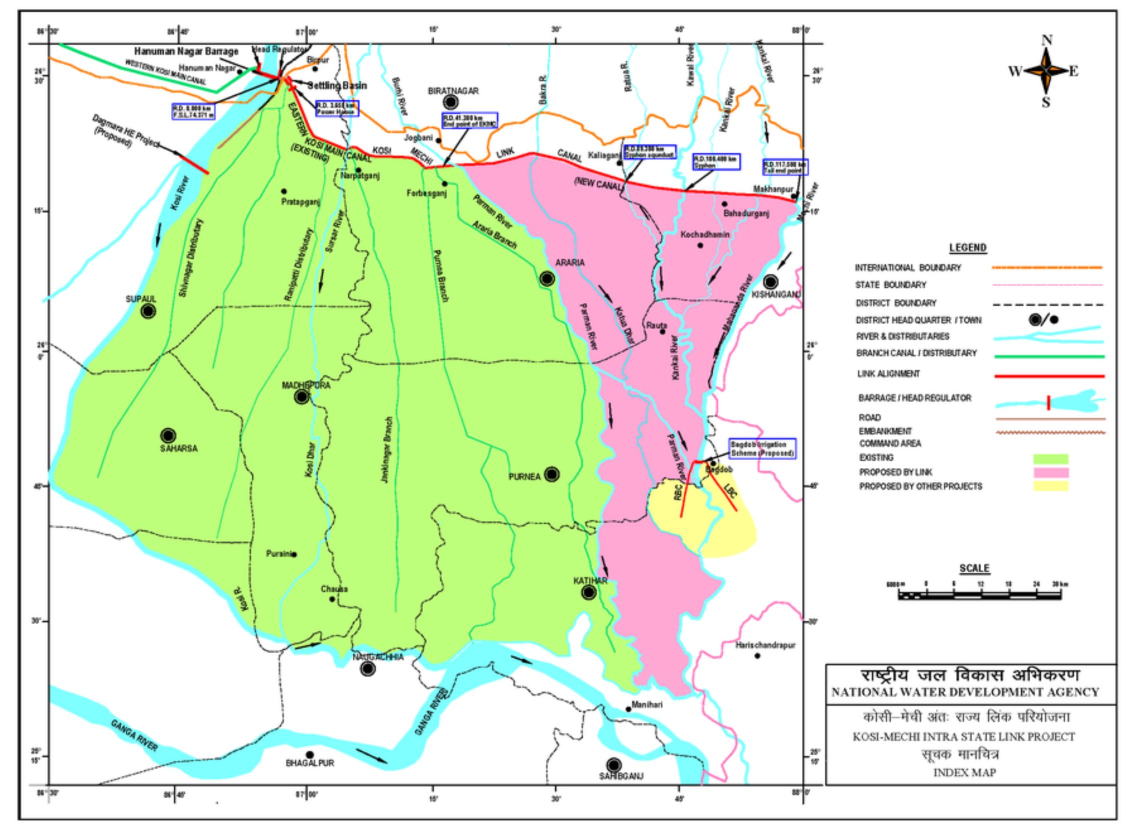

राष्ट्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उच्चाधिकार संचालन समिति (एचपीएससी) की बारहवीं (12 वीं) बैठक के दौरान, 16 राष्ट्रीय परियोजनाओं की समीक्षा और प्रगति पर चर्चा की गई, जिसे 24.11.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री यू पी सिंह, सचिव की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में घोषित 16 परियोजनाओं में से, अब तक पाँच परियोजनाएँ गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना (महाराष्ट्र), तीस्ता बैराज परियोजना (पश्चिम बंगाल), शाहपुर कंडी बांध परियोजना (पंजाब), इंदिरा सागर पोलावरम परियोजना (आंध्र प्रदेश) और सरयू नहर पारियोजना (उत्तर प्रदेश) क्रियान्वित की जा रहाई हैं। तीन परियोजनाओं का मूल्यांकन पूरा हो चुका है, पांच परियोजनाओं का मूल्यांकन जारी हैं और तीन डीपीआर/ पीएफआर चरण में हैं। समिति को सभी 16 राष्ट्रीय परियोजनाओं की नवीनतम स्थिति से अवगत कराया गया। विचार-विमर्श के बाद, परियोजनाओं को तेज करने के लिए परियोजना अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

राष्ट्रीय परियोजनाओं की योजना में नई परियोजनाओं को शामिल करना

समिति ने राष्ट्रीय परियोजनाओं की योजना में कोसी-मेची लिंक योजना (बिहार) के प्रस्ताव को शामिल करने पर विचार किया और सिफारिश की। यह परियोजना 117.50 किलोमीटर लिंक नहर के माध्यम से कोसी नदी के अधिशेष जल को मौजूदा हनुमान नगर बैराज से महानंदा बेसिन तक पहुंचाने का प्रस्ताव रखती है। परियोजना में 41.30 किमी तक मौजूदा पूर्वी कोसी मुख्य नहर (ईकेएमसी) की रीमॉडलिंग की परिकल्पना की गई है और इसे 117.50 किमी तक एक नए विस्तार के रूप में आगे बढ़ाया गया है। ईकेएमसी का मौजूदा सीसीए 4,40,000 हे. है और इस लिंक के पूरा होने के बाद, परियोजना का अतिरिक्त प्रस्तावित सीसीए 2,14,812 हे. (अतिरिक्त वार्षिक सिंचाई: 2,10,516 हे.) है। रु. 4900 करोड़ (मूल्य स्तर 2015-16) अनुमानित लागत वाली इस परियोजना की डीपीआर को 08.07.2016 को आयोजित जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की सलाहकार समिति की 129वीं बैठक में स्वीकृत किया गया । दिनांक 22.10.2020 को आयोजित जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की निवेश मंजूरी समिति की 14वीं बैठक में निवेश मंजूरी की सिफारिश की गई है।

गंगा नदी हेतु पर्यावरणीय प्रवाह की निगरानी

दिनांक 09.10.2018 के राजपत्र अधिसूचना तथा दिनांक 14.09.2019 के इसके संशोधित पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि गंगा नदी में उन्नाव तक चिन्हित खंडों में न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह बनाए रखा जाएगा । केंद्रीय जल आयोग को प्रवाह के अधीक्षण , निरीक्षण तथा विनियमन के लिए प्राधिकारी नियुक्त किया गया है तथा केंद्रीय जल आयोग स्वच्छ गंगा हेतु राष्ट्रीय मिशन को तिमाही आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । तदनुसार, यूजीबीओ , केंद्रीय जल आयोग , लखनऊ द्वारा 01.01. 2019 से ऊपरी गंगा नदी बेसिन में ई- फ्लो का निरीक्षण किया जाता है । वर्तमान में, केंद्रीय जल आयोग के विद्यमान एच ओ स्थलों के माध्यम से 11 अभिचिन्हित परियोजनाओं के लिए संबंधित परियोजना अधिकारियों से इनफ़्लो एवं आउटफ्लो के आंकड़े एकत्रित कर निगरानी की जाती हैं। अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग ने ई फ्लो की निगरानी हेतु 7-10 नवंबर, 2020 के दौरान उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के भागीरथी नदी पर स्थित मनेरी भाली -1 एचईपी तथा मनेरी भाली- 2 एचईपी , मेंसर्स जी वी के पावर्स का अलकनंदा एचईपी, मेसर्स जैपी पावर वेंचर्स का विष्णु प्रयाग एचपी जो भागीरथी नदी पर स्थित है, और ई-फ्लो की निगरानी हेतु केंद्रीय जल आयोग के नए खुले हाइड्रोलोजीकल प्रेक्षण स्थलों का दौरा किया। अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग ने इन जल विद्युत परियोजनाओं के पावर हाउस का भी दौरा किया तथा परियोजना अधिकारियों के साथ देहरादून स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी किए गए लक्ष्य के अनुसार ई- फ्लो अनुरक्षित करने के मुद्दे पर परिचर्चा की। उन्होंने इस रूट पर हरसिल, गंगोत्री, उत्तराखंड, बद्रीनाथ, जोशीमठ, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर और देवप्रयाग में केंद्रीय जल आयोग के एचओ स्टेशनों का भी दौरा किया तथा करंट मीटर द्वारा जल प्रवाह के पर्यवेक्षण हेतु पिंडर स्थल पर केबल वे लगाने का सुझाव दिया । उन्होंने ई- फ्लो का प्रभावी रुप से निरीक्षण हेतु उपयुक्त स्थान पर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अनुकूल रडार आधारित जल प्रवाह पर्यवेक्षण उपकरण लगाने का सुझाव दिया।

विभिन्न योजनाओं की वित्तीय प्रगति

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना / घटक का नाम	संशोधित अनुमान (2020-21)	व्यय	व्यय % में
1	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास (डीडब्ल्यूआरआईएस)	130.00	76.047	58.50%
2	जल संसाधन विकास योजनाओं का अन्वेषण (आईडब्ल्यूआरडी)	9.00	5.387	59.86%
3	बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)	10.576	6.525	61.70%
4	इंफ्रास्ट्क्चर विकास (आईडी) योजनाएं	5.00	2.769	55.38%
5	राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना	9.561	2.8173	29.47%
6	बांध पुनरुद्धार एवं सुधार परियोजना	37.00	12.00	32.43%

अर्जुन सहायक परियोजना

अर्जुन सहायक परियोजना में मौजूदा लहचूरा बांध से फीडर चैनलों के माध्यम से वर्षा के दौरान अर्जुन, चंद्रावल और कबरई बांध को भरने के लिए धसान नदी के अधिशेष जल के उपयोग की परिकल्पना की गई है। कबरई बांध की क्षमता में वृद्धि के लिए इसकी ऊंचाई 9.23 मीटर कर बढ़ाई जा रही है। परियोजना से 44381 हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई मिलेगी, जिसमें से 18963 हेक्टेयर खरीफ की सिंचाई और 25418 हेक्टेयर रबी की सिंचाई है।

प्रबोधन और मूल्यांकन निदेशालय, के.ज.आ, आगरा की एक टीम जिसमें श्री जीएल बंसल, निदेशक, श्री मयंक सुहृद , उप निदेशक और श्री सिद्धार्थ कुमार, कनिष्ठ अभियंता शामिल थे, ने बुंदेलखंड क्षेत्र में वर्ष 2020-21 के लिए 23 से 26 नवंबर 2020 के दौरान सिंचाई और जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के साथ पीएमकेएसवाई प्राथमिकता प्राप्त परियोजना "अर्जुन सहायक परियोजना " के लिए प्रथम निगरानी यात्रा की ।

नवंबर 2020 तक परियोजना की कुल भौतिक प्रगति लगभग 96% और वित्तीय प्रगति 95% है। परियोजना के पूरा होने का लक्ष्य मार्च 2021 है।

डाटा कोर्नर-जल वैज्ञानिक, मौसम और जल गुणवत्ता संबंधी साइटों (1774) का बेसिन वार विवरण

(* सितंबर 2020 तक)

क्र. सं	बेसिन का नाम	जी	जीडी	जीडीक्यू	जीडीएस	जीडीएसक्यू	जीक्यू	एसजी एंड मेट	डब्ल्यूक्यूएसएस	कुल योग
1	ब्राह्मणी-वैतरणी	12				11	1	1	14	39
2	कावेरी		13	17		24				54
3	महानदी और पेन्नार के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ	13	2			5				20
4	पेन्नार और कन्याकुमारी के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ		19	10		8		1		38
5	गंगा/ब्रह्मपुत्र/मेघना/बराक	250	206	72	24	164	91	95	5	907
6	गोदावरी	48	43	13		32	4	17		157
7	सिंधु	23	16	3	11	8		33		94
8	कृष्णा	14	14	12		29	3	18		90
9	महानदी	30	2	1		22		6	8	69
10	माही	10	4	2		3		1		20
11	म्यांमार और बांग्लादेश में बहने वाली छोटी नदियाँ	3	7		3	4				17
12	नर्मदा	18	37	5		10	1	2		73
13	पेन्नार		4	4		4				12
14	साबरमती	7	4	1		1		5	1	19
15	सुबर्णरिखा	6	2	1		6			5	20
16	तापी	17	18	1	1	3		7		47
17	ताद्री से कन्याकुमारी तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां		16	9		26				51
18	तापी से ताद्री तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ	7	6	4		5		3		25
19	लूनी सहित कच्छ और सौराष्ट्र की पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ	3	10	2		3		4		22
20	राजस्थान में इनलैंड जल निकासी के क्षेत्र									0
	कुल योग	461	423	157	39	368	100	193	33	1774

आईसीआईडी-विश्व धरोहर सिंचाई संरचना / वाटसेव पुरस्कार

आईएनसीआईडी (भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई और जल निकासी समिति) आईसीआईडी (अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई और ड्रेनेज पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग) की राष्ट्रीय स्तर की एक प्रतिनिधि संस्था है। आईएनसीआईडी में समिति के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष के.ज.आ और सदस्य-सचिव के रूप में मुख्य अभियंता (ईएमओ), के.ज.आ के साथ केंद्र सरकार (के.ज.आ., सीजीडब्ल्यूबी, आईसीएआर, कृषि मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय इत्यादि) राज्य के जल संसाधन / सिंचाई विभागों और, गैर सरकारी संगठन, निजी क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थानों, जल और भूमि प्रबंधन संस्थानों इत्यादि के सदस्य हैं। रिमोट सेंसिंग निदेशालय, के.ज.आ आईएनसीआईडी सचिवालय के रूप में कार्य करता है। आईएनसीआईडी के उद्देश्यों में शामिल हैं:

1. भारत के भीतर सिंचाई, जल निकासी, नदी ट्रेनिंग, और बाढ़ नियंत्रण तकनीकों के विकास और अनुप्रयोग को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना;
2. कृषि जल प्रबंधन के क्षेत्र में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों और निजी क्षेत्र के प्रयासों को एकीकृत करना; तथा
3. सहभागी देशों की राष्ट्रीय समितियों के बीच सिंचाई, जल निकासी, नदी ट्रेनिंग, और बाढ़ नियंत्रण से संबंधित सूचनाओं के वितरण और आदान-प्रदान के लिए आईसीआईडी के साथ सहयोग करना।

आईसीआईडी हर साल विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान करता है। आईसीआईडी द्वारा इन पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए थे। इन पुरस्कारों की विभिन्न पात्रता मानदंड और परिधि के अनुसार (राज्य सरकारों / के.ज.आ. के अधिकारियों द्वारा स्थल दौरा के माध्यम से) स्क्रीनिंग के बाद उन्हें विमर्श हेतु के लिए आईसीआईडी को भेज दिया गया।

विश्व धरोहर सिंचाई संरचना

यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व धरोहर संरचनाओं की तर्ज पर आईसीआईडी विभिन्न ऐतिहासिक सिंचाई संरचनाओं को "विश्व धरोहर सिंचाई संरचना" के रूप में मान्यता देता है । संरचना कम से कम 100 साल पुरानी और वह बांध, टैंक, बैराज, नहर प्रणाली, पुराने वाटरव्हील, आदि किसी भी श्रेणी में आ सकती है। इस वर्ष भारत से चार संरचनाओं को इस श्रेणी में सम्मानित किया गया है:

1. कुंबुम टैंक, आंध्र प्रदेश
2. धामपुर झील, महाराष्ट्र
3. केसी नहर (कुर्नूल-कडप्पा नहर), आंध्र प्रदेश
4. पोरममिला टैंक (अनंतराज सागरम), आंध्र प्रदेश

वाटसेव पुरस्कार एक व्यक्ति या एक समूह को ऐसी नवोदित पद्यति के लिए दिया जाता है जो महत्वपूर्ण संसाधन के स्थायी उपयोग को विकसित करने और सुधारने हेतु पानी के लाभकारी और / या कुशल उपयोग को बढ़ाने के लिए जल संरक्षण / पानी की बचत में योगदान देता है।

1. वाटसेव प्रौद्योगिकी पुरस्कार
2. वाटसेव इनोवेटिव वाटर मैनेजमेंट अवार्ड
3. वाटसेव यंग प्रोफेशनल अवार्ड
4. वाटसेव फार्मर पुरस्कार

वर्ष 2020 के लिए किसान श्रेणी के तहत वाटसेव पुरस्कार 'माइक्रो इरिगेशन विद फर्टिगेशन' के लिए आंध्र प्रदेश के श्री मेकला शिव शंकर रेड्डी को प्रदान किया गया है।

'इरिगेशन एंड ड्रेनेज' पत्रिका में योगदान करने वाले उत्कृष्ट पत्रों को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष 'बेस्ट पेपर अवार्ड' देने की शुरुआत 2006 में की गई। 'इरिगेशन एंड ड्रेनेज', आईसीआईडी का प्रमुख, प्रतिष्ठित व पियर रिव्यूड प्रकाशन है, जो सिंचाई और जल निकासी से जुड़े वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग, पर्यावरण और सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर मूल पत्र प्रकाशित करता है।

आईसीआईडी जर्नल के 'बेस्ट पेपर अवार्ड 2020' कृष्णा रेड्डी काकुमनु (भारत), येल्ला रेड्डी कलुवाई(भारत), एम बालसुबरमण्यम (भारत), उदया सेखर नागोथु,(नार्वे), गुरवा रेड्डी कोटपति और सुनीता कर्णम(भारत) (खंड 68, अंक 1) द्वारा प्रस्तुत "जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन: क्षमता निर्माण का प्रभाव, भारत" को सम्मानित किया गया है।

जल क्षेत्रक समाचार

- दिल्ली सहित 14 राज्यों में वर्षा जल संचयन उपकरण अनिवार्य (हिन्दुस्तान, 01.11.2020)
- भारत—नेपाल : जिस नदी को बनाया मुद्दा, अब उसी पर बिजली परियोजना (राजस्थान पत्रिका, 02.11.2020)
- 2050 तक देश के 30 शहरों में पानी की जबर्दस्त किल्लत (नवभारत टाईम्स, 04.11.2020)
- गोवा में जल—जीवन मिशन सफल, छत्तीसगढ़ समेत 10 राज्यों को इंतजार (हरि भूमि, 04.11.2020)
- हिमाचल में 210 मेगावाट के हाइड्रो प्राजेक्ट को मंजूरी (नवभारत टाईम्स, 05.11.2020)
- एक साल में बदला 5 करोड़ महिलाओं का जीवन : शेखावत
- आज उपराष्ट्रपति देंगे दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार (दैनिक भास्कर, 11.11.2020)
- अब गंगा के साथ—साथ गांवों की भी संवरेगी आर्थिकी (दैनिक जागरण, 17.11.2020)
- मार्च 2023 तक 90 फीसदी तक कम होगा यमुना में प्रदूषण (द पायनियर, 19.11.2020)
- गंगा की तरह अन्य नदियों की सफाई की योजना : शेखावत (राजस्थान पत्रिका, 20.11.2020)
- दिल्ली में 2022 तक पाइप से जलापूर्ति (हिन्दुस्तान, 22.11.2020)
- सरस्वती नदी का पुनर्जीवन प्रोजेक्ट का केंद्रीय मंत्री ने किया रिव्यू, 31 मार्च तक टेक्निकल ड्राइंग पूरी करने के निर्देश (दैनिक भास्कर, 24.11.2020)
- निवार तूफान से तमिलनाडु में गई पांच लोगों की जान(द पायनियर, 27.11.2020)
- तिब्बत में ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाएगा चीन (जनसत्ता, 30.11.2020)

गैलरी

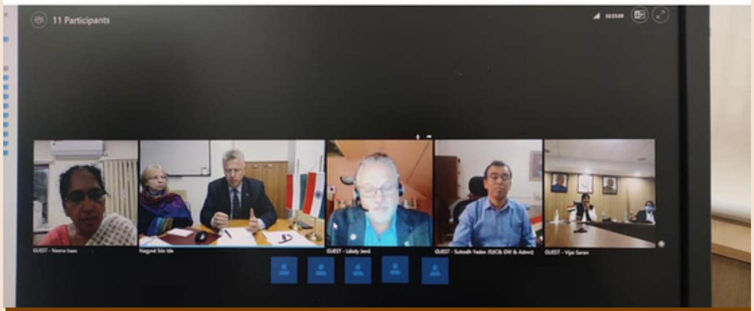

दिनांक 20.11.2020 को भारत और हंगरी के संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठक हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री सुबोध यादव, संयुक्त सचिव (प्रशासन,आई सी एंड जीडब्ल्यू), जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों में श्री विजय सरन, मुख्य अभियंता, के.ज.आ. और श्री डी.पी. मथुरिया, यूवाईआरबी सम्मिलित थे ।

तापी, निचली नर्मदा और दमनगंगा बेसिन हेतु "बाढ़-पूर्वानुमान और प्रबंधन की मॉनसून उपरांत समीक्षा" के लिए अंतर्राजीय बैठक दिनांक 18.11.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से श्री एम.पी. सिंह, मुख्य अभियंता, माही और तापी बेसिन संगठन, के.ज.आ, गांधीनगर, की अध्यक्षता में के.ज.आ, सूरत के संबंधित अधिकारियों और गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार, एसवीएनआईटी (भारत सरकार), सूरत के प्रतिनिधियों के साथ हुई।

इतिहास-डी.वी.सी. - एक राष्ट्रीय प्रयोग

भारत में दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर बेसिन की आर्थिक और औद्योगिक उन्नति के लिए असीमित संभाव्यताओं सहित संकल्पना में अद्वितीय उद्यम थी। बेसिन के संसाधनों का सम्पूर्ण एकीकृत विकास हेतु वैधानिक निकाय – दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) को बड़े अधिकार और जिम्मेदारियां दी गईं।

दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) की स्थापना 1948 में केंद्रीय विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन जैसे कार्यों के अलावा, इसे नेविगेशन, वनरोपण, मृदा संरक्षण, भूमि उपयोग, विस्थापित आबादी के पुनर्वास, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा घाटी और इसके संचालन के क्षेत्र के लोगों के औद्योगिक, आर्थिक और सामान्य कल्याण का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया था। हालाँकि, निगम की पूरी धनराशि योजना में रुचि रखने वाली तीन सरकारों द्वारा अलग-अलग अनुपात में प्रदान की गई थी, फिर भी वे अधिनियम में भाग लेने वाली सरकारों के रूप में रखे गए। निगम सतत उत्तराधिकारप्राप्त और एक कमान सील प्राप्त एक अर्ध-स्वायत्त निकाय था। यह निगम एक अध्यक्ष और दो सदस्यों के अधीन कार्य करता है, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकारों के परामर्श से भारत सरकार करती है।

पृष्ठ-भूमि

दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) की स्थापना, "शोक की नदी", दामोदर के कारण बाढ़ के लंबे और कष्टदायक एवं सृजित अकाल एवं महामारी के परिणाम थी । भारत में दामोदर एक छोटी धारा बनकर बिहार में छोटा नागपुर की पहाड़ियों से 300 मील से अधिक दूरी पर कोलकाता के दक्षिण में हुगली में प्रवेश होता है। परंतु, एक पहाड़ी धारा होने के कारण, अनगिनत सदियों तक यह अक्सर बंगाल में बाढ़ और विनाश और दुख के कारण बनी थी ।

1863 के आस पास जलाशयों के माध्यम से बाढ़ नियंत्रण पर विचार किया गया था और अगले वर्ष, लेफ्ट. गारनौल्ट ने भंडारण जलाशयों के लिए साइटों की जांच हेतु दामोदर नदी का सर्वेक्षण किया। 1866 में एक और सर्वेक्षण किया गया। 1902 मेंबराकर नदी पर दामोदर के साथ उसके संगम के बिलकुल ऊपर एक जलाशय के निर्माण की सिफारिश की गई थी। 1918 की रिकॉर्ड बाढ़ के बाद इस सिफारिश का फिर से समर्थन किया गया। सन् 1918 और सन् 1919 में भी समान सिफारिशें की गई थीं।

विशेषताएँ	तिलैया	कोनार	मैथन	पंचेट
उद्‌घाटन	21.02.1953	15.10.1955	27.08.1957	06.12.1959
नदी	बराकर	कोनार	बराकर	दामोदर
जिला	कोडरमा	हजारीबाग	धनबाद	धनबाद
राज्य	झारखंड	झारखंड	झारखंड	झारखंड
स्थापित विद्‌युत क्षमता	4 मेगा वाट	शून्य	63.5 मेगा वाट	80 मेगा वाट
दुर्गापुर बैराज				
निर्माण का वर्ष			1955	
लंबाई			692 मीटर	
फाटकों की संख्या			34 (अंडर स्लूइस सहित)	
नहर नेटवर्क का विवरण				
		लंबाई	हेड रेगुलेटर पर डिस्चार्ज (क्यूमेक में)	
एलबीएमसी (बायीं मुख्य नहर)		136.8 किमी	260	
आरबीएमसी (दायीं मुख्य नहर)		88.5 किमी	64.3	
मुख्य नहर एवं शाखा नहरों की कुल लंबाई		2494 किमी	--	

सन् 1943 में, 350000 क्यूसेक अधिकतम प्रवाह वाले एक मध्यम बाढ़ से लगभग 8.0 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। तब से, दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) द्वारा संचालित जलाशयों द्वारा कई बड़ी बाढ़ को रोका जा रहा है । दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) ने स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतर-राज्यीय संगठनों में से एक के रूप में दामोदर घाटी के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

केंद्रीय जल आयोग
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय

संपादक मंडल

- श्री समीर चटर्जी, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य अभियंता(ईएमओ) - सदस्य
- श्री योगेश पैथंकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ) - सदस्य
- श्री दीपक कुमार, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री एस.के. राजन, निदेशक(टीसी) एवं निदेशक(जप्रअ)- सदस्य
- श्री के.वी. प्रसाद, निदेशक(जल प्रणाली अभि.) - सदस्य
- श्री अनंत कुमार गुप्ता, निदेशक(डब्ल्यूपीएंडपी—सी)- सदस्य
- श्री चैतन्य के.एस., उप निदेशक(आईएसएम-2) - सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक(डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्री शिव सुन्दर सिंह, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.) - सदस्य सचिव

अभिकल्प एवं प्रकाशन
जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग
द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
ई-मेल: media-cwc@gov.in